EDU Journal of International Affairs and Research (EJIAR), ISSN: 2583-9993
Volume 3, Issue 3, July-September, 2024, Available at: https://edupublications.com/index.php/ejiar

शोध विषय-समान नागरिक संहिता मुद्दे और चुनौती

डॉ प्रदीप कुमार तिवारी[1], डॉ नीरज प्रकाश राय[2]

[1]सहायक प्रध्यापक मगंलयातन विश्वविद्यालय, बरैला रोड जबलपुर (मध्यप्रदेश)
[2]सह. प्राघ्यापक, मगंलायतन, विश्वविद्यालय जबलपुर (मध्यप्रदेश)

सारांश

विश्व में भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सिरमौर है, जहॉ विधि का भाशन है, वास्तिविक भाक्ति जनता में निहित है, च्कि भारतीय सभ्यता संस्किृति ,धर्म, जाति कि विविधिता पालन करने वाला **देश** है, यहा पर अनैकता में एकता का सिद्वांत लागू है, विभिन्न जाति, धर्म, और सम्प्रदाय के लोगो कों अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान प्रदान करता है, वही पर **देश** में व्यक्तिगत विधिया भी उपस्थित है,जैसे हिन्दू विधि जो हिन्दुओ पर लागू होती है, मुस्लिम विधि जो मुसलमानो पर लागू होती है, **क्रिश्चियन** विधि कि चयन समुदाय पर लागू होती है,इसी प्रकार पारसी विधि भी अस्तित्व में है।

उपरोक्त व्यक्तिगत विधियो के अस्तित्व सें न्याय और न्याय प्रणाली में वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यवधान उपस्थित होने लगें है, जिससे मूल विधियो का मूल उद्दे य पूर्ण नही हो पा रहा है, साथ ही समाज और राश्ट्र के उत्थान में व्यवधान की स्थिति निर्मित हो रही है, इसी परिपेक्ष्य में इस भाोध विशय को अग्रेशित किया जा रहा है।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारत सरकार **देश** में समान नागरिक संहिता लागू करने की पुर जोर **कोशिश** कर रही है, भारत सरकार ससंद के मानसून सत्र में इस विधयक को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्राईवेट मेंम्बर बिल के तहत लाना चाहती है,सरकार की और से कानून मंत्री अर्जुन राम मेंघवाल द्वारा प्राईवेट मेंम्बर बिल के रूप में संसद के मानसून सत्र में विधयक को **पेश** करने की बात कही गई है, तब से यह विषय आम जन मानस के लिऐ चर्चा का विषय बन गया, वर्तमान में विधि आयोग ने भी अपनी वेबसाईट के माध्यम से सम्बधित विधयक पर नागरिको के सुझाव आमंत्रित किऐ है,समान नागरिक संहिता एक ज्वलंत विषय है जिसकी चर्चा **ब्रिटिश** राज्य में सन् 1835 में भारू हुई थी,और आज भी उक्त विषय आम जन मानस में चर्चा का विषय बना हुहा है, प्रस्तुत शोध में समान नागरिक संहिता क्या है, इसको भारत **देश** में लागू करने पर **देश** के मानस पटल पर क्या प्रभाव पडेगा, विभिन्न न्यायिक द्रष्ठांतो के माध्यम से शोंध पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, साथ ही इस विषय के मुद्दे और चुनौतिया क्या है,इसका भी अध्ययन किया जा रहा है,समान नागरिक संहिता उन लोगो के लिये है, जो रोज मररा कि जिन्दगी में व्यक्तिगत व्योहार करते है, जैसे भाादि विवाह, गोद नामा, बटवारा,तलाक, भरण पोषण, एवं महिलाओ से सम्बधित अन्य मुद्दे, प्रायः देखा गया है कि, समान नागरिक संहिता के लागू न होने से न्याय पालिका को न्याय निर्णय करने में काफी असुविधा का समना करना पडता है, जिसके सम्बंध में सम्माननीय सर्वाच्च न्यायालय ने अपनी पीडा अपने द्वारा पारित न्याय निर्णय में समय –2 पर की है,तथा सरकार को भी निर्देश जारी किये है, कि तद् सम्बंध में भाीध्र अति शीघ्र कोई ठोस निर्णय ले, परंतु अभि तक इस संम्बध में कोई कानून नही बना है, वर्तमान सरकार द्वारा हालही में संसद में कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेंघवाल जी द्वारा संसद में प्राईवेट मेंम्बर बिल प्रस्तुत किया, इससे यह उम्मीद बंध गई है, कि समान नागरिक संहिता बिल संसद में पास हो जायगा, भारतीय संविधान के अनुच्छैद 25 में धर्म निर्पेक्षता का मौलिक अधिकार दिया गया ह, जिसका अर्थ है, धार्मिक मामला व्यक्तिगत मामला है,जिस पर हस्ताक्षेप करने का किसी को अधिकार नही है, परंतु संविधान में एसे प्रावधान दिये गय है, जिसका उपयोग कर सरकार **देश** में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। समान नागरिक संहिता भारत में लागू करने की चर्चा आम जन मानस पर बडी जोरो से हो रही है, तथा सरकार भी इस बिल को संसद के इस मानसून सत्र में कानून भाक्ल में लाने को तयार है, समान नागरिक संहिता बहुत पूराना विषय है, सर्वप्रथम सन् 1835 में तत्कालिक **ब्रिटिश** सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता बिल पर चर्चा की गई तथा इसे कानूनी रूप से तयार करने के लिये एक समिति तयार की गई, व्यक्तिगत मामलो और समान नागरिक संहिता लागू करने में विवाद की स्थिति होने के कारण इसे नही छुआ गया तथा आपराधिक मामलो में भारतीय दंण्ड विधान ,भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम को संहिता बद्व किया गया, जिसे हम भारतीय दंण्ड संहिता 1835 के नाम से जानते है। इसके प चात सन् 1942 में पुनः **ब्रिटिश** सरकार द्वारा डॉ बी.एन.राय की सदस्यता में एक कमेटी का निर्माण किया जिसमें व्यापक रूप से सभी धर्मो के व्यक्गित मामलो को इकट्ठा कर संहिता बद्व करने का प्रयास किया गया, जिसमें हिन्दु विधि में महिलोओ से सम्बधित विषय जैसे सम्पत्ति का अधिकार, दत्तक एवं भरण पोषण से सम्बधित अधिकार, तलाक, आदि विषय को लेकर कानून बनाया गया।

नोट– भारत में अधिकतर व्यक्तिगत कानून धर्म के अधार पर तय किऐ गय है,हिन्दू, सिख, जैन, और बौद्व धर्मो के व्यक्तिगत कानून हिंदू विधि से संचालित किये जाते है, वही मुस्लिम इसाई, फारसी धर्मो के अलग व्यक्तिगत कानून है जो अपनी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओ के अधार पर संचालित हेाते है, हिन्दु, सिख, बौद्व, तथा ईसाई धर्मो के अपने अलग व्यक्गित कानून है, भारत में मा़त्र गोवा एक एसा राज्य है, जहॉ पर समान नागरिक संहिता लागू है, संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तंर्गत समान नागरिक संहिता को समवर्ती सूचि में रखा गया है, जिसके अधार पर राज्य सरकारो को अधिकार है, कि वे तद्सम्बध में कानून बना सकते है।

समान नागरिक संहिता क्या है।

भारतीय संविधान के भाग (4) राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उनुच्छैद (44) के अनुसार भारतीय नागरिको के लिये एक समान नागरिक संहिता होगी। इसका व्योहारिक अर्थ है कि भारत के सभी धर्मो के नागरिकों के लिये एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए, संविधान के संस्थापको ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों के हस्तांतरित कर दी थी। समान नागरिक संहिता के अतंर्गत व्यतिगत और विवाह तलाक तथा गौद लेने से सबंधित कानूनेा में मत भन्निता है।

समान नागरिक संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में समान नागरिक संहिता का इतिहास बहुत पुराना है, सन् 1835 में जब भारत ब्रिटि ा सरकार के आधीन था, तब एक रिपोर्ट सौपि गई थी, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई थी,परंतु व्यक्गित मामलो में हस्ताक्षेप न करते हुऐ आपराधिक मामलो की एक समान नागरिक संहिता बनाई गई, जिसमें आपराधिक मामलों कि भारतीय दंण्ड संहिता , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और संविदा अधिनियम को शामिल किया गया,इसमें हिन्दू विधि, और मूस्लिम विधि को पृथक रखा गया, सन् 1941 में बनी बी.एन. राय कमेंटी का गठन **ब्रिटिश** सरकार द्वारा किया जिसमें हिन्दू शास्त्रो के अधार मानकर हिन्दू विधि को संहिता बद्व करने का प्रयास किया गया, जो महिलाओ को अधिकार प्रदान करने की बात करती है, इसके साथ ही, समति द्वारा उत्तराअधिकार अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तंर्गत कानून बनाने की बात कि। सन् 1951 में बी.एन. राय समति द्वारा तयार मसादे को संसद की प्रवर समिति के समक्ष रखा गया, जिसके अध्ययक्ष तत्कालिक विधि मंत्री श्री बी.आर. अम्बेडकर जी थें।

सन् 1952 में उक्त बिल पर संसद में चर्चा शरू हुई और चर्चा के दोरान पाया गया की उक्त बिल में काफी कमिया है,चर्चा उपरांत उक्त बिल में कमियो को दूर करने क लिये संसद की प्रवर समिति के समक्ष भेजा गया, कमियो को दूर करके समान नागरिक संहिता अधिनियम को सन् 1954 में लागू किया गया, जिसके अन्तंर्गत जैन, बोद्व, सिख धर्म आवलम्बंयो को भाामिल किया गया,जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 के नाम से जाना जाता है, साथ ही हिन्दू विवाह अधिनियम सन् 1955 को भी लागू किया गया, लेकिन मुस्लिम, फारसी, ईसाई धर्म को मानने वाले लेागो के लिये कोई समान नागरिक संहिता लागू नही कि गई, इन सभी धर्मो के लोग अपने धर्माअनुसार व्यक्तिगत कानूनो का अनुसरण करते है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में राजनैतिक दल और सरकार द्वारा किये गऐ प्रयास व्यक्तिगत कानून के संदर्भ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिये राजनैतिक दलो में से एक राजनैतिक दल और माननानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय –समय पर प्रयास किये गऐ,वर्तमान सरकार द्वारा इस मसोदे को अपने एजेन्डे में भाामिल किया गया,उनके द्वारा समान नागरिक संहिता को अमली जामा पहनाने के लिये भारत में जागरूकता अभियान चलाया गया, साथ ही भारत में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय के लोगो को इस ज्वलंत मुद्दे में साथ में लिया गया, और समान संदभ में दावे तथा आपत्तिया आमंत्रित किये गये, आम जनमानस एवं समाचार पत्रो में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में व्यापक चर्चा भी भारू हो चुकी है।

समान नागरिक संहिता विषय पर भाोध का उद्दे�य

प्राथमिक उद्देश्य

समान नागरिक संहिता कि संवेधानिक स्थिति का अध्ययन करना, संहिता के लागू हेाने से **देश** पर पडने वाले प्रभावो का अध्ययन करना ,समान नागरिक संहिता की ऐतिहासिक प्रष्टभूमि को समझना, साथ ही विभिन्न न्यायिक द्रष्टांतो के माध्यम से समझना की भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना क्यो आव यक है,समान नागरिक संहता लागू करने से वर्तमान में सरकार के समक्ष क्या चुनोतिया है और भविश्य में क्या चुनौतिया है,इसे व्यापक रूप से समझना है।

द्वितीयक उद्देश्य

समान नागरिक संहिता के लागू होने के लाभ क्या क्या है, और इसके लागू होने केप चात इसका समाज पर क्या असर पडेगा

भाोध परिकल्पना

क्यासमान नागरिक संहिता के लागू होने से संविधान के अनुच्छेद (25) धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लधंन होगा ?

साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा से तात्पर्य है,कि उक्त विषय पर किन –2 **शोधार्थियो** ने पूर्व में शोध कार्य किया,और उनके उक्त विषय पर भाोध कार्य करने का दायरा क्या था, तथा उनके द्वारा शोध कार्य करने से परिणाम क्या प्राप्त हुआ, विभिन्न प्रकार के शोध पत्र के अध्ययन से अवगत हुआ कि उक्त संदर्भ में निम्न लिखित भाोधार्थियेा द्वारा भाोध पत्र लेख किये है ।

साल्विन राव एवं सीमा पॉल 2010

2010 में साल्विन राव एवं सीमा पॉल द्वारा समान नागरिक संहिता के अन्तंर्गत महिलाओ की समाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया, जिसका शोध परिणाम यह था, कि समान नागरिक संहिता के लागू न होने के कारण मुस्लिम महिलाओ की समाजिक स्थिति ठीक नही थी, तलाक ऐ बिद्त्त जैसी कुप्रथा समाज में विद्यमान है, जिसके अन्तंर्गत बिना भरण पोशण दिऐ तलाक दिया जा रहा है,साथ ही बहुविवाह होने के कारण महिलाओ को कई अधिकारो से वंचित रहना पड रहा था।

सिंद्वात पचौरी 2022

2022 में नेभानल लॉयूनिवर्सीटी से सिंद्वात पचौरी द्वारा "समान नागरिक संहिता एक समीक्षा विषय" पर भाोध कार्य किया गया, जिनके द्वारा यह भाोध निश्क र्ा निकाला गया की परिवारिक विधि के अन्तंर्गत न्याय निर्णयो की सरलता के लिऐ समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना अत्यंत आव यक है।

सुब्रनील भोमिक 2023

2023 के आई . टी. टी. वि वविद्यालय के सुब्रनील भोमिक ने "समान नागरिक संहिता मुद्दे और चुनौतिया" विषय पर शोध पत्र प्रकाि ात किया, जिनके द्वारा भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद पडने वाले प्रभावो का अध्ययन किया गया।

भाोध विधि

समान नागरिक संहिता विषय सिद्यात शोध पर आधारित है, जो कि द्वतियक संमको पर निर्भर करता है,अतः उक्त विषय पर भाौध कार्य करने के लिऐ समान नागरिक संहिता से सम्बंधित विभिन्न पुस्तको, समाचार पत्रो और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विषय वस्तु पर पारित न्यायिक द्रष्ठांतो का अध्ययन करना पडेगा, ईटंरनैट के माध्यम से उपर्युक्त विशय पर उपलब्ध साहित्यों को पढना आव यक होगा।

समान नागरिक संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में समान नागरिक संहिता संहिता का इतिहास बहुत पुराना है, सन् 1835 में जब भारत ब्रिटि ा सरकार के आधीन था, तब एक रिपोर्ट सौपि गई थी, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई थी,परंतु व्यक्गित मामलो में हस्ताक्षेप न करते हुऐ आपराधिक मामलो की एक समान नागरिक संहिता बनाई गई, जिसमें आपराधिक मामलों कि भारतीय दंण्ड संहिता , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और संविदा अधिनियम को शामिल किया गया,इसमें हिन्दू विधि, और मुस्लिम विधि को पृथक रखा गया, सन् 1941 में बनी बी.एन. राय कमेंटी का गठन **ब्रिटिश** सरकार द्वारा किया जिसमें हिन्दू शास्त्रो के अधार मानकर हिन्दू विधि को संहिता बद्व करने का प्रयास किया गया, जो महिलाओ को अधिकार प्रदान करने की बात करती है, इसके साथ ही, समति द्वारा उत्तराअधिकार अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तंर्गत कानून बनाने की बात कि। सन् 1951 में बी.एन. राय समति द्वारा तयार मसोदे को संसद की प्रवर समिति के समक्ष रखा गया,जिसके अध्ययक्ष तत्कालिक विधि मंत्री श्री बी.आर. अम्बेडकर जी थें। सन् 1952 में उक्त बिल पर संसद में चर्चा शरू हुई और चर्चा के दोरान पाया गया की उक्त बिल में काफी कमिया है,चर्चा उपरांत उक्त बिल में कमियो को दूर करने के लिये संसद की प्रवर समिति के समक्ष भेजा गया, कमियो को दूर करके समान नागरिक संहिता अधिनियम को सन् 1954 में लागू किया गया,जिसके अन्तंर्गत जैन, बोद्व, सिख धर्माअलम्बियो को भाामिल किया गया,जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 के नाम से जाना जाता है, साथ ही हिन्दू विवाह अधिनियम सन् 1955 को भी लागू किया गया, लेकिन मुस्लिम, फारसी, ईसाई धर्म को मानने वाले लेागो के लिये कोई समान नागरिक संहिता लागू नही कि गई, इन सभी धर्मो के लोग अपने धर्माअनुसार व्यक्तिगत कानूनो का अनुसरण करते है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में राजनैतिक दल और सरकार द्वारा किये गऐ प्रयास व्यक्तिगत कानून के संदर्भ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिये राजनैतिक दलो में से एक राजनैतिक दल और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय –समय पर प्रयास किये गये।वर्तमान सरकार द्वारा इस मसोदे को अपने एजेन्डे में भाामिल किया गया,उनके द्वारा समान नागरिक संहिता को अमली जामा पहनाने के लिये भारत म जागरूकता अभियान चलाया गया, साथ ही भारत में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय के लोगो को इस ज्वलंत मुद्दे में साथ में लिया गया, और समान संदर्भ में दावे तथा आपत्तिया आमंत्रित किये गये, आम जनमानस एवं समाचार पत्रो में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में व्यापक चर्चा भी भारू हो चुकी है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गऐ प्रयास कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयो में कहा है,कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिि चत करने की दि ाा में प्रयास करना चाहिऐ, ााह बानो प्रकरण के संदर्भ में दिया गया निर्णय सर्वविदित है, उक्त मामला तत्कालिक राजीव गॉधी सरकार के समक्ष आया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद अहमद खान विरूद्व भााह बानो बैगम के 1985 एस.सी.आर

EDU Journal of International Affairs and Research (EJIAR), ISSN: 2583-9993
Volume 3, Issue 3, July-September, 2024, Available at: https://edupublications.com/index.php/ejiar

(844)– 1985 सुप्रीम कोर्ट (556) के मामले में सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में निर्देशित किया गया, क्योकि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरियत में तलाक तथा महिलाओ के गुजारा भत्ता के संदर्भ में कोई ठोस प्रावधान नही है, जो कि संविधान के अनुच्छेद (14)(21) और (38) का उल्लधंन करता है,परंतु राजीव गॉधी सरकार द्वारा उक्त मामले में कोई ठोस पहल नही कि गई, तबसे उक्त मामला एक ज्वलंत विषय बन गया, इसी तरह से सरला मुद्गल विरूद्व यूनियन आफ ईडिया के मामले में सन् 1995 में तत्कालिक नरसिंह राव सरकार को निर्देशित किया गया की उक्त संदर्भ में कानून बनाये, उक्त मामला बहुविवाह के संदर्भ में था,उक्त सरकार द्वारा भी कानून बनाने के संदर्भ में कोई पहल नही कि गई, व्यक्तिगत कानूनो के संदर्भ में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संवेधानिक हितार्थ संविधान कें अधार संवेदन ाील वर्ग का संरक्षण करना **देश** की चुनी हुई सरकार का प्रथम कर्तव्य है,आम तौर पर देखा गया है, कि व्यक्तिगत कानून को ढाल बनाकर, धार्मिक मान्यताओ की आड पर महिलाओ पर अत्याचार किया जाता है,साथ ही उन्है, संम्पंत्ति के अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा है

शाह बानौ विरूद्व भारत सघ का मामला प्रमुख है, जिसमें मुस्लिम महिला को तलाक के बाद बजीफा देने से मना कर दिया गया ,माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सम्बध में कानून बनाने के लिये सरकार को दि ाा निर्देश जारी किये पंरतु तत्कालिक सरकार द्वारा कोई पहल नही की गई,इसी तरह से एक वाकिया भारतीय सिनेमा जगत कि ख्यातिलब्ध अदाकारा मीना कुमारी का है, जिन्है पति के द्वारा तलाक दिया गया और बाद में हलाला करवा कर दुबारा पत्नी बनाया गया, हलाला मुस्लिम धर्म की एक कुप्रथा है, जिसके वाकिये का जिक्र स्वयं मीना कुमारी द्वारा किया गया,जाहॉ तक सम्पंत्ति के बटवारे का प्रावधान है, मुस्लिम विधि में महिलाऔ को 1/3 सम्पत्ति में हक देने का प्रावधान है,जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पत्ति में बराबरी का हक महिलाओ के दैने कि बात कही है, इसी तरह से मुस्लिम विधि में उत्तराअधिकार अधिनियम, दत्तक एवं भरण पोषण के सम्बध में भारियत कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नही है, अगर किसी मुस्लिम महिला द्वारा किसी हिन्दु व्यक्ति से विवाह कर लिया जाता है, तो उसे मुस्लिम कानून के तहत सम्पत्ति के अधिकार से वचिंत रखा जाता है,इस तरह है से व्यक्तिगत कानूनो में कई विसंगतिया है, जिसे समान नागरिक संहिता लाकर दूर किया जा सकता है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत भारत में रहने वाले सभी लोगो के मौलिक अधिकारो के संनरक्षण करने की है, बात करता है।

महिलाओ या पुरूष, इस कारण भारत में एक राय बनाकर समान नागरकि संहिता को लागू करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगो को संविधान के अनुरूप न्याय मिल सके।

समान नागरिक संहिता लागू करने में आने वाली संवेधानिक चुनौतिया।

समान नागरिक संहिता, को लागू करना आसान नही है, क्योकि इसको लागू करने के लिये भगीरथ प्रयास कि आवश्यकता है, क्योकि संविधान के अन्तंगत काफी विसंगतिया है, जिसे बिन्दूवार इस शोधपत्र के माध्यम से समझाया जा रहा है,

1. संविधान का अनुच्छैद (341) और(366)
भारतीय संविधान संविधान के अनुच्छैद (341)अैर (366) के अन्तंर्गते भारत में रहने वाले जनजातियो को विशे ा दर्जा दिया गया है, जिन पर भारत म लागू हिन्दु कोड बिल लागू नही होता है, इनके समस्त व्यक्तिगत किया कलापो का सम्पादन इनके समाज में जारी रूडी एवं प्रथाऔ के अन्तंर्गत होता है,भारत में समान नागरिक संहिता के अन्तंर्गत जनजाति समाज के लेागो को लाना एक गंभीर चुनोति होगी।

2 सांविधान का अनुच्छैद 371(अ) और संविधान का अनुच्छैद 371 (ज) एक अपवाद है,जो नागालैण्ड और मिजोरम सें सम्बधित है,जिसके मुताबिक कोई भी संसदीय कानून इन राज्यो के प्रथागत कानून और धर्म – अधारित प्रणाली का स्थान नही लेगा।
भारत के संविधान का अनुच्छैद (25)

संविधान का अनुच्छैद(25) जो की भारत में रहने वाले लागो कों धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है,जिसके अन्तंर्गत धर्म एक व्यक्तिगत ममला है, समान नागरिक संहिता भी व्यक्तिगत मामलो के अन्तंर्गत आता है, मुस्लिम धर्म में विवाह, तलाक ,बटवारा धार्मिक मामला है, जो कि भारियत के अधार पर लागू होता है,और भारत सरकार इस पर कोई हस्ताक्षैप नही कर सकती, और मुस्लिम विधि शरियत कानून के अन्तंर्गत लागू होती है

जिसके अन्तंर्गत विवाह भामिल है,जो कि एक धार्मिक मामला है, संविधान का अनुच्छैद 25 भारत में रहने वाले प्रत्येक लोगो को जो किसी भी धर्म का हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है,अतः संविधान सं ाोधन कर समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार के लिये असान नही है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने में संवैधानिक हितार्थ भले समान नागरिक संहिता को लागू करना सरकार के लिऐ असान नहीं है, परंतु संविधान में कई एसे उपबंध है, जिसका उपयेाग कर समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है,जो निम्न प्रकार है।

संविधान का अनुच्छैद (245)

भारत के संविधान का अनुच्छैद(245)संसद और राज्यो के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनो का विंस्तार इस अनुच्छैद के प्रावधानो के अधीन **देश** के सम्बध में सम्पूंर्ण **देश** में कानून बना कर लागू किया जा सकता है,

संविधान का अनुच्छैद 44

संविधान का अनुच्छैद 44 राज्यो के नीति निर्दे ाक तत्वो से सम्बधित है, जिसके अन्तंर्गत राज्यो को अधिकार है कि, वे समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कानून बना सकते है,समान नागरिक संहिता संविधान अनुसूची 7 के अन्तंर्गत एक धार्मिक मुद्दा है जिसे समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके अन्तंर्गत राज्यो को अधिकार है, कि वह तद्सम्बंध कानून बना सके इसी तार्यतम्य में गोवा सरकार ने सन् 1964 में समान नागरकि संहिता पर कानून बनाया जो भारत में रहने वाले सभी धर्मआवलम्बियो पर समान रूप से लागू होता है, इसी तरह से सन् 1922 में गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने की अनुशंसा की गई, भारत में संघीय प्रणाली लागू है, जिसके अन्तंर्गत राज्यो को अधिकार प्राप्त है, कि वे तद् सम्बंध में असानी से कानून बना सकते है।

समान नागरिक संहिता के लागू करने के लाभ

समान नागरिक संहिता को लागू करने से कई लाभ है जैसे विवाह,उत्तराधिकार,गौदनामा,बटवारा आदि तमाम जटिल मुद्दो का सरलीकरण होगा, न्यायपालिका को भी न्याय निर्णय करन में असानी होगी, समाज में सोहार्द पूर्ण वातावरण स्थापित होगा, साथ ही धर्मनिर्पेक्षता को बल मिलेंगा।

भारतीय संविधान के अन्तंर्गत भारत एक धर्मनिर्पेक्ष गणराज्य है, वर्तमान में विभिन्न धर्मो के लोगो के लिऐ अलग –2 कानून होने के कारण कही न कही भारतीय संविधान की धर्मनिर्पेक्षता की अवधारणा प्रभावित होती है,अतः समान संहिता लागू होने से भारतीय संविधान के उद्दे य पूरे होगे।

साथ ही , भारतीय समाज के बहुसंख्यक वर्ग में कही न कही यह भावना घर कर गई है कि राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिये समान नागरिक संहिता को **देश** में लागू नही किया जा रहा है, भारत में कांगैस पार्टी द्वारा कफी लम्बै समय तक देश में भाासन किया गया, परंतु तुष्टी करण की नीति अपनाने के कारण समान नागरिक संहिता को **देश** में लागू नही किया, जबकि भााह बानों बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तत्कालिक राजीव गॉधी सरकार को समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने हेतु दि ाा निर्देश जारी किये परंतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नही उठाय गय, और उसके बाद की सरकार द्वारा भी उक्त संदर्भ में कोई सार्थक पहल नही की गई इस कारण आम जनमानस में यह धारणा बन गई की किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिये समान नागरिक संहिता को देश में लागू नही किया जा रहा है, साथ ही भारतीय आम जन मानस का यह भी मानना है, कि जब मुस्लिम समुदाय भारतीय दंण्ड संहिता एवं दंण्ड प्रकृिया संहिता के प्रावधानों का पालन कर सकता है, तो समान नागरिक संहिता का पालन क्यो नही कर सकता है, इन सब मुद्दो को देखकर एसा प्रतीत होता है, कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू होना चाहिऐ इससे समाज में समाजिक समरसता बढैगी।

समान नागरिक संहिता को लागू करने में रखी जाने वाली सावधानियॉ।

समान नागरिक संहिता को भारत में अगर एक साथ लागू किया गया तो देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि समान नागरिक संहिता बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जो एक धार्मिक मसला है, विपक्ष के लोग इसे एक चुनावी हथियार के रूप में उपयोग कर सकतें और देश में दंगे भी भडका सकते है, समान नागरिक संहिता भारत में रहने वाले मुसलमानो को काफी हद तक प्रभावित करती है, जिनकी भावनाओ को भडका कर देश में दंगे फसाद कराऐ जो सकते है, अतः समान नागरिक संहिता को लागू करते समय सरकार को फूक –2 कर कदम रखने की आवश्कता है, बहतर होगा की सरकार इसे चरण बद्व तरीके से लागू करे तथा इसके लागू करने से होने वाले परिणामो का बारीके से अध्ययन करे उसके बाद इसे सभी लोगो पर लागू करे।

समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिये सरकार को समाज में कडी महनत करनी होगी समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लागो को समझाना होगा, उन्है वि वास में लेना होगा, सरकार को इसे लागू करने का **उद्देश्य** लोगो को बताना होगा, की इसे लागू करने का उद् य धार्मिक तथा राजनैतिक नही बल्कि लोक हित है।

अभी तक जो सरकार की स्थिति है, भारत सरकार लोगो को समान नागरिक संहिता का समझाने में असफल रही है, क्येकि सरकार की मं ाा लोकहित कम राजनैतिक ज्यादा है, भारत में रहने वाला बहुसंख्यक वर्ग कही न कही इस समले पर संवेदनशील है, और इस मुद्दे को सरकार उठाकर वोटो का ध्रुवीकरण कर राजनैतिक लाभ साधना चाहती है

सरकार द्वारा इस सम्बध में प्राईवेट मेंम्बर बिल संसद में लाया गया जिससे यह स्पष्ट है, कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदन ील नही है,उचित यह होगा की सरकार इस मुद्दे पर सभी वर्ग के लोगो को साथ में लेकर चले, और इसे लागू करने में आपसी सहमती स्थापित करे। समान नागरिक संहिता को भारत में चरणबद्व तरीके से लागू किया जा सकता है, पहले इसे कुछ वर्गो में लागू करके समाज में पड रहे प्रभावो का अध्ययन करना चाहिऐ ।

उपसंहार

समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में एक ज्वलंत मुद्दा है, जो कि काफी पुराना है, समान नागरिक संहिता आज तक **देश** में लागू नही हो सका क्योकि इसको लागू करने में किसी भी राजनैतिक पार्टी ने ठोस प्रयास नही किया हालाकिं भारतीय जनता पार्टी का यह एक राजनैतिक मुद्दा रहा है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके द्वारा समान नागरिक संहिता को संसंद में पास करने के लिये बिल प्रस्तुत किया गया है, देखना है कि उक्त बिल कब तक लागू होता है, जहॉ तक भारतीय न्याय व्यवस्था का सवाल है

समान नागरिक संहिता न होने के कारण माननीय न्यायधीश गणो को न्याय निर्णय करने में काफी दिक्कतो का सामना करना पडता है, माननीय सर्वेच्च न्यायालय द्वारा समय –2 पर अपने निर्णयो को माध्यम से इस पीडा को उजागर किया गया है, और तद्सम्बंध में समय –2 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयेा के माध्यम सरकार को दिशा निर्देश भी जारी किऐ है, कि उक्त संम्बध में कोई ठोस कानून बनाय जाऐ, अब गेंद सरकार के पाले में है, उक्त शोध पत्र में समान नागरिक संहिता को विस्तार से समझाया गया है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णयो का वर्णन किया गया है,साथ ही समस्त संवेधानिक परिस्थितियो की चर्चा की गई है,कि भारत में समान नागरिक संहिता क्यो लागू करनी चाहिऐ तथा इसको लागू करते समय किन चुनोतियो का सामना करना पडेगा।

शोध परिकल्पना के अधार पर निश्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में शोध परिकल्पना स्थापित कि गई की क्या समान नागरिक संहिता के लागू होने से संविधान के अनुच्छेद (25) धर्म निर्पेक्षता के मालिक अधिकार का उलधंन होता है।

परिणाम –उक्त भाोध पत्र के माध्यम से यह परिणाम प्राप्त हुआ अनुच्छेद (25)धार्मिक निर्पेक्षता के मोलिक अधिकार का उल्लधंन नही होता है, अगर सरकार द्रणसंल्पित है, तो समान नागरिक संहिता को असानी से भारत में चरणबद्व तरीके से लागू किया जा सकता है।

अनुकृमणिका

[1]. एजन्स फैलविया दि सुप्रीम कोर्ट दि मिडिया एंण्ड दि यू.सी.सी डिबैट ईन इंडिया दि क्राईसेस ऑफ सेक्यूरलिजिम इन इंडिया 2006
[2]. पी.पी 294.– 315 चवन ननदंनी और कुतुब जहॉ किदवई. परर्सनल रिफोरमस और जैन्डर इम्पांवरमेंन्ट ए डिबैट औन यू.सी.सी होप इंडिया पब्लीके ान , 2006
[3]. द्रिश्टी आई.ए.एस द्वारा समान नागरिक संहिता पर इंटरनेट पर समान नागरिक संहिता पर लेख,
[4]. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद अहमद खान विरूद्व भााह बानो बैगम के 1985 एस.सी.आर (844)– 1985 सुप्रीम कोर्ट 556 पारित आदे"ा।
[5]. सरला मुद्गल विरूद्व यूनियन ऑफ इंडिया 1995(3) सुप्रीम कोर्ट (63)
[6]. सिविल कोड दि इकोनामिक टाईम्स अहमदबाद 6नवंम्बर
[7]. चौधरी , वैभव ए परर्सनल फौर यू.सी.सी फार लॉ ऑफ सक्सेसन ईन इंडिया एस.एस.आर.एन. इलेक्ट्रानिक जरनल 2010 हजारिका राय भारत में समान नागरिक संहिता क्या लागू हेाना चाहिऐ।
[8]. श्री एस.एन. शुक्ला भारत का संविधान पुस्तक
[9]. बैवसाईट : एच.टी.टी.पी.एस : // बी.वाय.जै.एस.काम /फ्री – आई.ए.एस–प्रीप/फॉर –ए–यूनिफार्म –सिविल –कोड इन इंडिया
[10]. ईन ए सक्यूलर ईडियॉ /एच.टी.पी.एस :// डब्लू.डब्लू.डब्लू जागरन जौश .कॉम/जरनल – नालेज /व्हाई यूनिफार्म –विविल –कोड –ईस –नेसासरी फॉर –ईडिंया –1477037384 –1
[11]. च.टी.टी.पी.एस :// वकील सर्च .काम /ब्लोग /यूनिफार्म –सिविल– कोड–आफ –इंडिया /

.